

**कार्यालय**  
**संघित प्रविधिक शिक्षा परिषद**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या - प्रविष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**-आवृत्तिय आदेश-**

अखिल भारतीय लक्ष्मीजी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वीडियो सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी संघित लक्ष्मीजी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम अंश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 3356-SRIMATI VIDHYAWATI COLLEGE OF PHARMACY, GORA MACHHEYA, KANPUR ROAD, JHANSI**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/ई/टी/पी/सी/आई/टी द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एच-आई/सी/टी/ई/टी/पी/सी/आई/टी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, डी जॉय पारमैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 49000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो जॉय पारमैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश करार/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तविक द्वारा निर्मित किये जाने वाले वास्तविक प्रशस्ती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पौष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पौष का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पौष की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 03/92 प्रविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त अंश परीक्षा परिषद द्वारा आर्सेटिव छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत वास्तविक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एच-आई/सी/टी/ई/टी/पी/सी/आई/टी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये विधि/नियम/अधिनियम/वास्तविक/निर्देश एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश प्रविधिक परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

JPL, Vidhyawati College of Pharmacy  
 Kanpur Road, Jhansi  
 U.P. 202002  
 Contact No. 1973  
 0522-2250000  
 0522-2250001  
 0522-2250002  
 0522-2250003  
 0522-2250004  
 0522-2250005  
 0522-2250006  
 0522-2250007  
 0522-2250008  
 0522-2250009  
 0522-2250010  
 0522-2250011  
 0522-2250012  
 0522-2250013  
 0522-2250014  
 0522-2250015  
 0522-2250016  
 0522-2250017  
 0522-2250018  
 0522-2250019  
 0522-2250020

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर इंदौर जंक्शन।**

संख्या- प्राथमिक/परिचय सम्बद्धता/2020/1875

तारीख: दि-दि-दि: 18-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आरबीए आर्थिक शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के अंतर्गत आरबीए शिक्षा संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान किए जाने के अंतर्गत आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर इंदौर से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु वित्त वर्ष 18-8-2020 को अग्रिम आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर इंदौर को अग्रिम से आर्थिक कार्यलय में भेजा जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु आरबीए नई दिल्ली को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पर्यवेक्षण/इसेरा प्रदान वृद्धि सहित अन्य नवी पत्र विस्तार कराई है। वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निम्न विवरण है।

उक्त के अनुसार नई सम्बद्धता संधि की शर्तों के तहत 2 से 10 दिनों के अंदर ही आरबीए पर्यवेक्षण संस्थाओं को नवी पत्रों से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रदान करा गया है। सम्बद्धता संधि द्वारा प्राप्त विद्या-विस्तार एवं विस्तार संधि विवरण निम्न है।

- निम्नी शेष में स्थापित दिशानिर्देश एवं कार्रवाई पर्याप्त रूप से संचालित करने वाली संस्थाएं, जो आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर इंदौर जंक्शन से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु वीसीआईए द्वारा उन्हें मध्यम अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में वीसीआईए द्वारा प्रदान किये जाने अनुसंधान विस्तार के अनुसार उनके नाम के अनुसार अग्रिम पर्याप्त/इसेरा प्रदान के साथ वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर संधि द्वारा विद्या-विस्तार किया गया एवं सर्वसम्पत्ति से वीसीआईए द्वारा प्रदान अनुसंधान विस्तार के अनुसार नई वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार देने जाने का निर्णय किया गया।

वित्त वर्ष 18-8-2020 को उत्तर सम्बद्धता संधि की शर्तों के तहत नवी पत्रों के अनुसार निम्न के अनुसार नई विद्या-विस्तार को आर्थिक शिक्षा परिषद, उत्तर इंदौर जंक्शन द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित संधि के अंतर्गत पर्यवेक्षण एवं प्रदान किया गया है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	वित्त वर्ष 2020-21 हेतु अनुसंधान प्रदान	वीसीआईए द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुसंधान प्रदान	वीसीआईए द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अनुसंधान प्रदान
1	2020	आरबीए शिक्षा परिषद, उत्तर इंदौर जंक्शन, उत्तर इंदौर।	वित्त वर्ष 2020-21 हेतु अनुसंधान प्रदान	20	20

**सम्बद्धता हेतु नवी**

- उक्त पर्यवेक्षण/वीसीआईए द्वारा निर्धारित नवी पत्रों का पूर्ण रूप से संचालित।
- उक्त पर्यवेक्षण अंतर्गत आर्थिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आर्थिक शिक्षा परिषद दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीसीआईए-2021 तक उक्त निर्देशों के तहत नवी पत्रों का अनुसंधान प्रदान करने के लिए उक्त पर्यवेक्षण संधि द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि द्वारा पर्यवेक्षण हेतु नवी 30,15000/- (तीस लाख) की राशि का निर्देश पर्यवेक्षण हेतु 30,00,000/- (तीस लाख) का शुल्क प्रदान की नवी पर्यवेक्षण (20 वर्षों तक) पर्यवेक्षण के अंतर्गत हेतु नवी-21/20।

